लेखा·योग

परियोजना अनुदान का लेखा-जोखा

अङ्क ८६ - दिसम्बर '०२ (जुलाई -०३ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

परियोजना अनुदान क्या होते हैं? १

१. दायित्व के रूप में २

२. आय के रूप में २

३. प्रातिबन्धिक आय के रूप में ३

कौन सी विधि उचित है ? ३

आय-कर प्रबन्धन... ३

भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान की अनुशंसा... ३

सम्बन्धित लेखा·योग ३

भारत में जनसेवी संस्थाएँ अपने कार्यों के लिए तीन प्रकार से धन उद्ग्रहण[१] करती हैं:

१. सेवाओं का शुल्क ले कर या सामान बेच कर,
२. लोगों से दान ले कर, तथा
३. सरकार या किसी दातव्य संस्था से अनुदान लेकर।

कुछ सङ्गठनों की आय सम्पत्तियों (जैसे- भुमि या भवन) या निवेश से होती है।

इन तीनों स्रोतों में से, दातव्य संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अनुदान ही अधिकांश जनसेवी संस्थाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत हैं। ऐसे अनुदान कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि परियोजना अनुदान, मूलधन अनुदान, या मूलाधार[२] अनुदान। प्रस्तुत अङ्क में हम परियोजना अनुदानों की लेखा-विधि पर चर्चा करेंगे।

परियोजना अनुदान क्या होते हैं?

परियोजना अनुदान किसी विशिष्ट क्रिया-कलाप के लिए दिया जाने वाला अनुदान है। इन क्रिया-कलापों का विवरण परियोजना प्रलेख तथा संलग्न आय-व्ययक (बजट) में दिया होता है। कुछ जनसेवी संस्थानों को मूलाधार अनुदान भी मिलते हैं। ऐसे अनुदानों को जनसेवी-संस्थान अपनी इच्छानुसार (परन्तु संस्थागत उद्देश्यों के अनुकूल) व्यय करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

[१] पैसे उगाहना, फण्ड-रेज़िङ्ग
[२] कोर-सपोर्ट

३१-मार्च-०३ का तुलन-पत्र

दायित्व	रुपये (लाख में)		सम्पत्ति	रुपये (लाख में)	
काय (मूलधन)		२०.००	भवन		१८.००
आयाधिक्य		०.३०	रोकड़ एवं बैङ्क		१०.३०
कखग का अनुदानः					
अथ शेष (१-४-०२)	५.००				
जोड़ें: इस वर्ष की प्राप्ति	२०.००				
घटायें: इस वर्ष का व्यय	१७.००				
अवशिष्ट (३१-३-०३)		८.००			
	योग	२८.३०		योग	२८.३०

३१-मार्च-०३ वर्षान्त का आय-व्यय खाता

व्यय	रुपये (लाख में)	आय	रुपये (लाख में)
कार्यालय भाड़ा	०.५०	सदस्यता शुल्क	०.२५
वेतन	०.६०	छान	१.०५
अन्य व्यय	०.०५	विविध आय	०.१५
आयाधिक्य	०.३०		
योग	१.४५	योग	१.४५

३१-मार्च-०३ वर्षान्त का प्राप्ति-भुगतान खाता

प्राप्ति	रुपये (लाख में)	भुगतान	रुपये (लाख में)
अथ शेष (१-४-०२)	७.००	कार्यक्रम व्यय	१७.००
कखग द्वारा अनुदान	२०.००	कार्यालय भाड़ा	०.५०
सदस्यता	०.२५	वेतन	०.६०
दान	१.०५	अन्य व्यय	०.०५
विविध आय	०.१५	अवशिष्ट (३१-३-०३)	१०.३०
योग	२८.४५	योग	२८.४५

चित्र १: दायित्व के रूप में अनुदान

इन अनुदानों का लेखा तथा प्रस्तुतीकरण वार्षिक खातों में कैसे होगा? इसकी तीन पद्धतियाँ प्रचलित हैं।

१. दायित्व के रूप में

इस पद्धति में अनुदान को एक दायित्व की तरह माना जायेगा तथा अप्रयुक्त राशि तुलन पत्र में दिखाई जाऐगी। वर्ष भर में हुए व्यय को प्राप्त राशि में से कटौती के रूप में दिखाया जाएगा। अप्रयुक्त अनुदान आने वाले वर्षों में प्रयुक्त होगा।

इस पद्धति का प्रस्तुतीकरण चित्र १ में दिखाया गया है। ध्यान दें कि इस प्रस्तुति में वर्तमान वर्ष का व्यय आय-व्यय खाते में दिखाई नहीं देता है। इससे लोगों में यह भ्रम पैदा हो सकता हैं कि यह संस्था बहुत क्रियाशील नहीं है।

२. आय के रूप में

इस पद्धति में परियोजना अनुदानों को सामान्य, प्रतिबन्धरहित आय की तरह माना जाएगा तथा उसका पूरा आकलन आय-व्यय खाते में होगा। इस अनुदान का उपयोग अगले एक या दो वर्षों में किया जाएगा। आय तथा व्यय के अन्तर को आयाधिक्य[३] या व्ययाधिक्य[४] के रूप में दिखाया जाएगा।

इस पद्धति में आर्थिक विवरण चित्र २ की तरह दिखेगा। प्राप्ति तथा भुगतान खाता चित्र १ की तरह ही रहेगा, अतः पुनः दिखाया नहीं गया है।

देखें कि कैसे इस पद्धति में वर्ष का आयाधिक्य बढ़ा हुआ दिखता है। यह अन्तर किसी दातव्य संस्था (कखग) द्वारा दिये गये अनुदान में से अप्रयुक्त तीन लाख रूपयों के कारण है। इस प्रकार का प्रस्तुतीकरण लोगों को भ्रमित करेगा कि यह धन संस्था के पास इच्छानुसार व्यय करने के लिए उपलब्ध है। इसका परिणाम यह होगा कि सङ्गठन की आर्थिक स्थिति

[३] आय का व्यय से अधिक होना

[४] व्यय का आय से अधिक होना

कभी ऊपर, कभी नीचे जाती दिखाई देगी जैसे किसी बिगड़ैल घोड़े की उछल-कूद। यह चित्र २ के रेखाचित्र में दिखाया गया है। वास्तव में यह संस्था का आयाधिक्य नहीं, अपितु एक दाता द्वारा प्रदत्त विशिष्ट-निधि का अंश है। संस्था इस निधि का, दाता से अनुमति लिये बिना, किसी दूसरे कार्य के लिये उपयोग नहीं कर सकती। इस निधि पर संस्था का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता।

३१-मार्च-०३ का तुलन-पत्र

दायित्व	रुपये (लाख में)		सम्पत्ति	रुपये (लाख में)	
काय (मूलधन)		२०.००	भवन		१८.००
आयाधिक्यः			रोकड़ एवम् बैङ्क		१०.३०
अथ शेष (१-४-०२)	५.००				
जोड़ेंः वर्ष के लिए	३.३०				
अवशिष्ट (३१-३-०३)		८.३०			
योग		**२८.३०**	**योग**		**२८.३०**

३१-मार्च-०३ वर्षान्त का आय-व्यय खाता

व्यय	रुपये (लाख में)	आय	रुपये (लाख में)
कार्यक्रम व्यय	१७.००	कखग द्वारा अनुदान	२०.००
कार्यालय भाड़ा	०.५०	सदस्यता शुल्क	०.२५
वेतन	०.६०	दान	१.०५
अन्य व्यय	०.०५	विविध आय	०.१५
आयाधिक्य	३.३०		
योग	**२१.४५**	**योग**	**२१.४५**

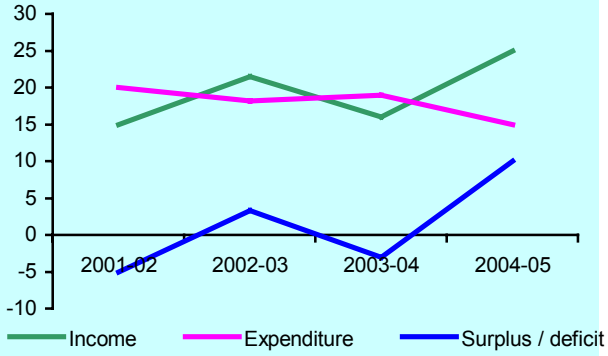

चित्र २: आय के रूप में अनुदान

(प्राप्ति एवम् भुगतान लेखा जैसा चित्र १ में है)

आगामी वर्ष जब यह संस्था कखग द्वारा दिये अनुदान का व्यय कर देगी तब हो सकता है संस्था के वार्षिक खातों में व्ययाधिक्य दिखने लगे। यह अन्तिम पृष्ठ पर चित्र ५ में दिखाया गया है। इस पद्धति में भी आयाधिक्य या व्ययाधिक्य की वास्तविक स्थिति वार्षिक खातों में नहीं दिखाई देती।

३. प्रातिबन्धिक आय के रूप में

इस पद्धति के अनुसार, किसी वर्ष की अवधि में वास्तविक रूप से व्यय की गई परियोजना-अनुदान की राशि उसी वर्ष की आय की तरह मानते हैं। शेष राशि को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में अगले वर्ष के लिए आगे ले जाते हैं।

यदि आप इस पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं तो संस्था के वार्षिक खाते चित्र ३ की तरह दिखाई देंगे।

३१-मार्च-०३ का तुलन-पत्र

दायित्व	रुपये (लाख में)	सम्पत्ति	रुपये (लाख में)
काय (मूलधन)	२०.००	भवन	१८.००
आयाधिक्य	०.३०	रोकड़ तथा बैङ्क	१०.३०
अप्रयुक्त अनुदानः			
- कखग	८.००		
योग	२८.३०	योग	२८.३०

३१-मार्च-०३ वर्षान्त का आय-व्यय खाता

व्यय	रुपये (लाख में)	आय		रुपये (लाख में)
कार्यक्रम व्यय	१७.००	कखग से अनुदानः		
कार्यालय भाड़ा	०.५०	इस वर्ष प्राप्त	२०.००	
वेतन	०.६०	जोड़ेंः पिछले वर्ष का शेष	५.००	
अन्य व्यय	०.०५	घटायेंः वर्ष के अन्त में		
		अप्रयुक्त अनुदान	८.००	
आयाधिक्य	०.३०	शेषः इस वर्ष के लिए		
		अनुदान		१७.००
		सदस्यता शुल्क		०.२५
		दान		१.०५
		विविध आय		०.१५
योग	१८.४५	योग		१८.४५

चित्र ३: प्रातिबन्धिक आय के रूप में अनुदान
(प्राप्ति तथा भुगतान लेखा चित्र १ के जैसी)

कौन सी विधि उचित है ?

आइये अब देखते हैं कि यह तीन विकल्प संस्था के आर्थिक स्थिति को कैसे प्रस्तुत करते हैं। चित्र ४ की तालिका में इन तीनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इन प्रत्येक विकल्प में सम्पत्ति, दायित्व, आय तथा व्यय का आर्थिक विवरण कैसे दिखाई देते हैं। उक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि सम्भवतः तीसरा विकल्प ही परियोजना-अनुदानों के लिये उचित है।

आय-कर प्रबन्धन...

इस विकल्प में, ऊपर बताई हुई स्पष्टव्यता के अतिरिक्त एक और भी लाभ है - इससे संस्थाओं के लिए आयकर प्रबन्धन सुगम हो जाता है। कैसे? क्योंकि परियोजना-अनुदान की अप्रयुक्त राशि इस वर्ष के आय-व्यय खाते में नहीं आती, अपितु आगामी वर्ष के खाते में चली जाती है। केवल अप्रातिबन्धिक आय ही पूर्ण रूप से आय-व्यय खाते में आती है। इस प्रकार संस्था को सुविधापूर्वक यह पता चल जाता है कि उसका किसी वर्ष-विशेष में न्यूनतम कितना व्यय[५] होना चाहिए।

भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान की अनुशंसा...

भारतीय शासपत्रित लेखाकार संस्थान[६] ने भी अपनी नवीनतम तकनीकी मार्गदर्शिका में तीसरी पद्धति को ही अनुशंसित किया हैं:..

"क्योंकि अव्यवसायिक संस्थाएँ बड़ी मात्रा में कुछ विशेष प्रकार के व्यय के लिए अनुदान प्राप्त करती हैं, इसलिए हमारे विचार से अनुदान (जितना उस अवधि में प्रयुक्त हुआ हो, उतना) तथा सम्बन्धित व्यय दोनों को पृथक रूप से आय-व्यय खाते में दिखाना चाहिए। ऐसा प्रत्यक्षीकरण संस्था के द्वारा उस अवधि में किये गये कार्यों की विवेचना करने में उपयोगी होगा[७]।..."

सम्बन्धित लेखा·योग

६ : भारतीय लेखा का सर्वोत्तम स्तर
३६ : तुलन पत्र
३८: आय एवम् व्यय
५९: सामान्यतः उलझन वाले विचारार्थ विषय

[५] आयकर नियमों के अनुसार संस्थाओं को प्रतिवर्ष अपनी आय का न्यूनतम ८५ प्रतिशत व्यय करना चाहिए।
[६] दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया
[७] पृष्ठ ७६; टेक्निकल गाईड ऑन अकाउण्टिङ्ग इन नॉट-फॉर-प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन्स, फरवरी २००३।

विषय-वस्तु	आर्थिक चिट्ठों में अनुदानों का प्रस्तुतीकरण :		
	- दायित्व के रूप में (पद्धति १)	- आय के रूप में (पद्धति २)	- प्रातिबन्धिक आय के रूप में (पद्धति ३)
सम्पत्तियों की प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति
दायित्वों की प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति	अल्प प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति
आय की प्रस्तुति	अल्प प्रस्तुति	अल्प या अधिक प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति
व्यय की प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति	उचित प्रस्तुति

चित्र ४: तुलनात्मक विश्लेषण

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग की हिन्दी कैसी हो - इस विषय पर गहन सोच-विचार के उपरान्त यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ तक सम्भव हो शुद्ध भाषा और वर्तनी (स्पैलिङ्ग) का प्रयोग किया जाये। अर्थात् अन्य भाषाओं से लिये शब्दों का प्रयोग कम-से-कम हो। हमारा मानना है कि इससे हमारी और पाठकों की भाषा-क्षमता का विकास होगा। इस सिद्धान्त को न मानने से आँग्ल (अँग्रेजी) भाषा की जो दुर्दशा हुई है वह सबको विदित है। आँग्ल भाषा में आलस्यवश (अथवा अज्ञानवश) अन्य भाषाओं से शब्द सीधे आयात कर लिये गये। इससे आँग्ल शब्दों की गणना में विस्तार तो हुआ परन्तु उनके अर्थ, उच्चारण और वर्तनी की जटिलतायें बढ़ती गयीं। इनको सुलझाने में रोमन लिपि के सीमित वर्णाक्षर (२६) सर्वथा असमर्थ रहे हैं। इसीलिये आँग्ल भाषा के लिये बड़े-बड़े शब्द-कोश बनाने पड़े हैं। सौभाग्य से हिन्दी अभी तक इन दोषों से सामान्यतः मुक्त रही है। आशा है कि हमारा यह क्षुद्र प्रयास हिन्दी की गरिमा बनाये रखने में किञ्चित् सहायक होगा।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १२०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

लेखा·योग सम्पुटिका - जनसेवी संस्थानों के लेखा तथा इससे सम्बन्धित छोटी-छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए कृपया इस पते पर ई-प्रेष करें।
accountaid-subscribe@topica.com

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

३१-मार्च-०४ का तुलन-पत्र

दायित्व	रुपये (लाख में)		सम्पत्ति	रुपये (लाख में)
काय (मूलधन)		२०.००	भवन	१८.००
आय तथा व्यय लेखा			रोकड़ तथा बैङ्क	७.३०
अथ शेष (१-४-०३)	८.३०			
घटायें: इस वर्ष का घाटा	३.००			
अवशिष्ट (३१-३-०४)		५.३०		
	योग	२५.३०	योग	२५.३०

३१-मार्च-०४ वर्षान्त का आय-व्यय लेखा

व्यय	रुपये (लाख में)	आय	रुपये (लाख में)
कार्यक्रम व्यय	१७.५०	कखग द्वारा अनुदान	१४.००
कार्यालय भाड़ा	०.५०	सदस्यता शुल्क	०.२५
वेतन	०.६०	दान	१.००
अन्य व्यय	०.४०	विविध आय	०.७५
		घाटा	३.००
योग	१९.००	योग	१९.००

३१-मार्च-०४ वर्षान्त का प्राप्ति-भुगतान खाता

प्राप्ति	रुपये (लाख में)	भुगतान	रुपये (लाख में)
अथ शेष (१-४-०३)	१०.३०	कार्यक्रम व्यय	१७.५०
कखग द्वारा अनुदान	१४.००	कार्यालय भाड़ा	०.५०
सदस्यता	०.२५	वेतन	०.६०
दान	१.००	अन्य व्यय	०.४०
विविध आय	०.७५	अवशिष्ट (३१-३-०४)	७.३०
योग	२६.३०	योग	२६.३०

चित्र ५: आय के रूप में अनुदान (२००३-०४)

© AccountAid™ India राष्ट्रीय शक संवत् वैशाख १९२५; मई २००३ ईस्वी